न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 144 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. जगाराम पुत्र मांगाराम 2. कृष्णाराम पुत्र मांगाराम 3. श्रीमती लेहरों पत्नी मांगाराम 4. पारसाराम पुत्र मांगाराम 5. जोईताराम पुत्र हरदाराम 6. रमेश पुत्र हरदाराम 7. वजाराम पुत्र केसाराम 8. शनीदेव पुत्र पोकराराम 9. गौतम पुत्र पोकराराम 10. गोविन्द पुत्र पोकराराम 11. सुरेश पुत्र पोकराराम 12. सुरेन्द्र पुत्र पोकराराम 13. चनणी पत्नी पोकराराम 14. दलाराम पुत्र केसाराम 15. हरचन्दराम पुत्र भैराराम 16. भलाराम पुत्र भैराराम 17. फूसाराम पुत्र भैराराम 18. माधाराम पुत्र भैराराम 19. सांवताराम पुत्र पोकराराम का. मु. 19/1बीरबल पुत्र सांवताराम उम्र 07 वर्ष 19/2खुशबू पुत्री सांवताराम उम्र 10 वर्ष 19/3श्रीमती लवगोंदेवी पत्नी सांवताराम उउम्र 28 वर्ष अपीलांट संख्या 19/1 से 19/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लवगोंदेवी पत्नी सांवताराम 20. कुमारी दाड़मी पुत्री पोकराराम 21. कुमारी एलची पुत्री पोकराराम जातियान मेघवाल निवासी अजा का फांटा, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. करनाराम पुत्र सोनाराम 2. पांचा पुत्र मोती 3. भगवाना पुत्र केसा 4. मोहन पुत्र केसा 5. रमकू पत्नी केसा 6. जमना पत्नी नरसी फौत के कायम मुकाम अपीलांट संख्या 05 व 06 7. गौतम नरसी 8. मसरा पुत्र नरसी 9. नगाराम पुत्र रणछाराम 10. नानजी पुत्र जवाना के का.मु. 10/1हरियादेवी पत्नी नानजीराम 10/2सांवलाराम पुत्र नानजीराम 10/3शिवजीराम पुत्र नानजीराम जाति मेघवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2017(2017/00159) बउनवान करनाराम वगैरह बनाम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भगवानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 व 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—27.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 व 02 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 28 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 184 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 184/1 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 202 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/1 रकबा 1.1817 हैक्टेयर मौजा सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आये हुए है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 28 के खातेदारी की है। मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुल्ले हुए नहीं है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटगण के सम्मनों पर अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर किये गये तथा कुछ सम्मनों पर वादीगण अपने ही रिश्तेदारों व चहेतों लोगों को गवाह बनाकर आसामी के घर पर नहीं होने का कहते हुये सम्मन आबाद मकान पर चस्पा बता दिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जबकि अपीलांट द्वारा सम्मन लेने से इंकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलांट रेकर्डेड खातेदार होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलांट को उक्त वाद में वादीगण के गवाह के जिरह करने व स्वयं के साक्ष्य सबूत पेश करने बाबत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार सोना पुत्र सुरता को वादी ने अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार था। वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आये तथा पटवारी हल्का द्वारा वाद के समस्त तथ्यों से अवगत करवाने पर अपीलांट को उक्त अपील पेश करने हेतु आवश्यकता पड़ी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—**RRT 2023(2) Page 1185, RRT 2021(2) Page 1152, RRT 2023(20 Page 981**

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। मूल वाद पेश करते वक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त सहखातेदारों को मूल वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी वहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। हल्का पटवारी व आर आई बिना सूचना दिये मौके पर आये तथा वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने लगे जिस पर अपीलांट ने इस संबंध में हल्का पटवारी से पूछताछ करने पर हल्का पटवारी ने सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया तथा बाद में हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर किसी प्रकार की लिखापढी किये बिना ही चले गये जिस पर अपीलांट को ओर अधिक संशय हुआ, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 22.08.2024 को आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले मांगी जो तैयार होकर दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त की तो अपीलांटगण को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांटगण को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने मियाद अधिनियम के बिंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किये गये जो अपीलांटगण से व्यक्तिगत तामील करवाये गये जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आते है। हस्तगत प्रकरण को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु दिनांक 15.06.2018 को नियत किया गया उस वक्त भी अपीलांटगण की व्यक्तिगत तामील करवाई गई। अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील होने के बावजूद जानबूझकर अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

उपस्थित नहीं हुए। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौके पर उपस्थित रहने बाबत नोटिस दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं किया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की ही घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2017(2017/00159) बउनवान करनाराम वगैरह बनाम भगवानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.02.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

27/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/2025

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर